

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 15 /उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 08/05/2025

वाद संख्या 479/2025-26

श्री किशन सिंह बिष्ट,
भट्टनगर गौचर,
जिला-चमोली।

-

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैण।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत लोड के सन्दर्भ में है। श्री किशन सिंह बिष्ट, पुत्र अवतार सिंह बिष्ट, भट्टनगर गौचर वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 20.03.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, विभाग द्वारा प्रार्थी का विद्युत भार गलत तरीके से 1 किलोवाट से बढ़ाकर 3 किलोवाट कर दिया गया है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 11.04.2025 एवं 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री किशन सिंह बिष्ट उपस्थित हुए, विभाग की ओर से अधिकासी अभियंता वि०वि० खण्ड गैरसैण ने अपने कार्यालय पत्रांक 128/वि०वि०उ०ख० कर्ण०/उपाकालि/CGRF दिनांक 25.04.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि अवर अभियंता गौचर द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने पर उपभोक्ता के मीटर पर अधिकतम मॉग 1.58 दर्ज की गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता के मीटर पर अधिकतम मॉग 2 किलोवाट पायी गयी।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात् विभाग उपभोक्ता का विद्युत भार नियमानुसार कम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 16 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 08/05/2025

वाद संख्या 480 / 2025-26

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह,
ग्राम-घण्डियाल, पो०-फरकण्डे,
जिला-चमोली।

—

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैण।

—

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

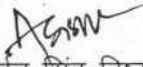
उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, ग्राम-घण्डियाल, पो०-फरकण्डे वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 20.03.2025 को मेल द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी का विद्युत मीटर एक साल से खराब है, जिसे विभाग द्वारा बदला नहीं गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 11.04.2025 एवं 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशाली अभियंता वि०वि० खण्ड गैरसैण ने अपने कार्यालय पत्रांक 66/वि०वि०उ०ख०गै०/दिनांक 25.04.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता का मीटर एक सप्ताह पूर्व बदल दिया गया है।

आदेश

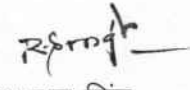
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 17 /उ०शि०नि०मं०/क०क्ष०/शि०नि०/2024-25,

दिनांक:- 08/05/2025

वाद संख्या 481/2024-25

श्री कुलदीप सिंह बिष्ट
ग्राम-मैखोली, पो०-मेहलचौरी,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैण।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

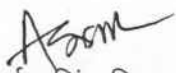
निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कुलदीप सिंह बिष्ट, ग्राम-मैखोली, पो०-मेहलचौरी, वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 20.03.2025 को केम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.03.2025 को केम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री पंकज कोली, उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड गैरसैण द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं।
- मंच द्वारा पाया गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकी दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जाँचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।**

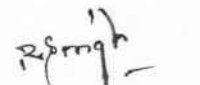
आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 18 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 08/05/2025

वाद संख्या 482 / 2024-25

श्री कुंवर सिंह
ग्राम-महरगाँव, पो०-मेहलचौरी,
जिला-चमोली।

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैण।

बनाम

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

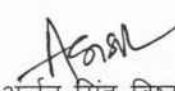
निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कुंवर सिंह, ग्राम-महरगाँव, पो०-मेहलचौरी, वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 20.03.2025 को केम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.03.2025 को केम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री पंकज कोली, उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड गैरसैण द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं।
- मंच द्वारा पाया गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकी दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जाँचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

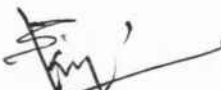
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



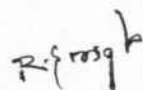
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 19 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 08 / 05 / 2025

वाद संख्या 483 / 2024-25

श्री रणजीत सिंह
ग्राम-रामडा मल्ला, पो०-फरकण्डे तल्ली,
जिला-चमोली।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैण।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री रणजीत सिंह, ग्राम-रामडा मल्ला, पो०-फरकण्डे तल्ली, वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 20.03.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा विद्युत बिल सही मीटर रीडिंग के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.03.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री पंकज कोली, उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड गैरसैण द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 20 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 08 / 05 / 2025

वाद संख्या 475 / 2024-25

शाखा प्रबन्धक,
केनरा बैंक,
जोशीमठ अपर बाजार।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

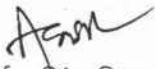
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक, जोशीमठ अपर बाजार, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 21.02.2025 को मेल द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को चेक मीटर रिकार्ड के अनुसार किये गये संशोधित विद्युत बिल से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.03.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री भूपेन्द्र भण्डारी विभागीय प्रतिनिधि वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई, किन्तु चेक मीटर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता के कुछ बिल NA के दर्शाये गये हैं, जोकि संशोधित करने योग्य हैं।

आदेश

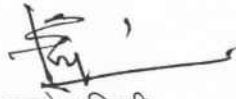
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया जाता है कि विभाग उपभोक्ता को दिये गये दिनांक 15.11.2023 से वर्तमान तक के विद्युत बिल चेक मीटर के आधार पर संशोधित कर रिपोर्ट मंच को प्रेषित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



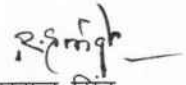
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 2 / /उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 08/05/2025

वाद संख्या 476 / 2024-25

श्री मूल सिंह,
प्रबन्धक मानव उत्थान सेवा समिति
बद्रीनाथ धाम।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मूल सिंह, प्रबन्धक मानव उत्थान सेवा समिति बद्रीनाथ धाम, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 24.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को रू० 1,57,300 (एक लाख सत्तावन हजार तीन सौ) का गलत विद्युत बिल दिया गया था जिसे संशोधित कर रू 73424 (तिहत्तर हजार चार सौ चौबीस) किया गया है, किन्तु विभाग द्वारा संशोधित बिल कम्प्यूटर रिकार्ड में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, जिस कारण उपभोक्ता अपना विद्युत बिल भुगतान नहीं कर पा रहा है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.03.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री भूपेन्द्र भण्डारी विभागीय प्रतिनिधि वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित कर अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

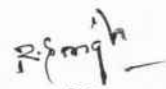
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 22 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 08/05/2025

वाद संख्या 488 / 2025-26

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह,
ग्राम व पो०-गौणा, दशोली,
जिला-चमोली।

—

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

—

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

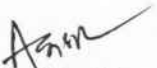
निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह, ग्राम व पो०-गौणा, दशोली, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 02.04.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी का 4 किलोवाट का सोलर पॉवर प्लांट है, जिस पर विभाग द्वारा सोलर पॉवर प्लांट से उत्पादित विद्युत मूल्य (प्रति यूनिट) पूर्व में किये गये एग्रीमेन्ट के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता का संशोधित विद्युत बिल प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



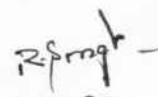
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 23 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 08 / 05 / 2025

वाद संख्या 487 / 2025-26

श्री रामचन्द्र,
ग्राम-देवराड़ा, पो०-तुंगेश्वर,
नारायणबगड़।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

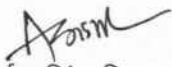
निर्णय

1. परिवाद नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में है। श्री रामचन्द्र ग्राम-देवराड़ा, पो०-तुंगेश्वर, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 11.04.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा विभाग में नये संयोजन हेतु समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन किया गया है, किन्तु विभाग द्वारा अभी तक उपभोक्ता को नया संयोजन नहीं दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अजय बर्तवाल विभागीय प्रतिनिधि वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए। विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 360/वि०वि०ख०नाब०/दिनांक 25.04.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के परिसर में नया विद्युत संयोजन स्थापित कर परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

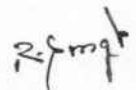


सन्तोष डिमरी

(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह

(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- ०९ /उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 30/04/2025

वाद संख्या 490/2025-26

श्री गौरव सिंह फरस्वाण
होटल वेलकम पीपलकोटी।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

अन्तरिम-निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गौरव सिंह फरस्वाण, होटल वेलकम पीपलकोटी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 15.04.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता संयोजन पर सोलर प्लांट सम्बद्ध है, एवं विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2024 को उपभोक्ता को छब्बीस लाख चौरासी हजार पाँच सौ पच्चीस रुपये का बिल जमा करने का नोटिस दिया गया है। जो मेरी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री गौरव सिंह फरस्वाण उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए।
- मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा बनाए गये जुलाई 2022 से अक्टूबर 2024 तक के विद्युत बिलों के टैरिफ को त्रुटिपूर्ण पाया गया।

अन्तरिम-आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, उपभोक्ता के विद्युत बिल, पूर्व के विद्युत बिलों की मीटर यूनिट के अनुसार संशोधित करें, एवं उपभोक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह अपने विद्युत बिल के ऐवज में एक लाख रुपये जमा करें। उपभोक्ता द्वारा एक लाख रुपये जमा करने के पश्चात् विभाग उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति त्वरित बहाल करें।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 26 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13 / 05 / 2025

वाद संख्या 442 / 2025-26

श्री राजेन्द्र सिंह
ग्राम-गोविन्दघाट जोशीमठ।

-

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

बनाम

-

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

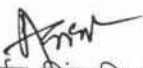
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम-गोविन्दघाट जोशीमठ, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 14.01.2025 को मेल द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता का बट्टीनाथ धाम में एक भोजनालय है, जो केवल बट्टीनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के कपाट खुलने के दौरान ही कार्यमान होता है, किन्तु कपाट बंद होने एवं लॉकडाउन के दौरान किसी कारणवश मीटर की डिस्प्ले खराब होने के कारण विभाग द्वारा बिल फिक्स कर दिया था। विभाग द्वारा उस दौरान उपभोक्ता को रू० 216724 का बिल दिया गया जिसमें से उपभोक्ता द्वारा रू० 10000 जमा कर दिया गया था। परन्तु वर्तमान समय में विभाग द्वारा उपभोक्ता को रू० 287686 का बिल दिया गया है जिससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशाली अभियंता उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच से उपभोक्ता के मीटर का निरीक्षण करने के लिए एक अगली तिथि की मांग की गई।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025, 19.03.2025, 11.04.2025, तथा 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री मंच के सम्मुख प्रेषित की गई।
4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट की तुलना में तकनीकी दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जाँचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

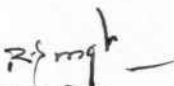
तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 27 /उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 443/2025-26

श्री सागर कुमार
होटल- क्लिप टॉप क्लव औली,
जोशीमठ।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री सागर कुमार होटल- क्लिप टॉप औली, जोशीमठ, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 17.01.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी की शिकायत के निम्न बिन्दु हैं-
 - कि प्रार्थी को वर्ष 2014 से केवल दो फेस में ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जबकि विद्युत बिल प्रतिमाह तीन फेस का दिया जा रहा है।
 - कि दिनांक 12.10.2021 को प्रार्थी द्वारा विभाग में चेक मीटर की धनराशि जमा की गई थी, किन्तु वर्तमान तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
 - कि दिनांक 02.01.2008 को प्रार्थी द्वारा विभाग में चार लाख छः सौ सत्ताईस रुपये चेक द्वारा विद्युत संयंत्र के लिए जमा किये हैं, किन्तु वर्तमान तक विभाग द्वारा कोई भी संयंत्र नहीं लगाया गया है।
 - विभाग द्वारा माह जुलाई 2024 तथा माह अगस्त 2024 के बिल प्रतिमाह दो लाख सोलह हजार पाँच सौ सतावन रुपये के दिये गये हैं, जबकि दिनांक 17.06.2024 से 31.12.2024 तक प्रार्थी का विद्युत संयोजन विच्छेदित था।
 - विभाग द्वारा प्रार्थी को बीस लाख रुपये का गलत बिल बनाकर दिया गया है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री किशोर कुमार उपस्थित हुए, विभाग की ओर से अधिशाली अभियंता वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। मंच द्वारा उपभोक्ता को निर्देशित किया गया कि वह अपने संयोजन पर ट्रांसफार्मर स्थापित करें, एवं विभाग उपभोक्ता के संयोजन पर चेक मीटर स्थापित कर रिपोर्ट अगली सुनवाई में मंच में प्रस्तुत करें।
- दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025, 19.03.2025 एवं 11.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता के चेक मीटर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- मंच द्वारा शिकायत की अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.4.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के बिल चेक मीटर के अनुसार संशोधित करने योग्य हैं।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 27 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

आदेश

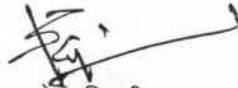
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, उपभोक्ता के विद्युत बिल, चेक मीटर की रसीद/आवेदन से वर्तमान तक IDF मानकर संशोधित कर प्रेषित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

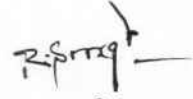
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 28 /उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 467 / 2025-26

श्री विनोद प्रसाद भट्ट,
ग्राम व पो०- गोपेश्वर।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

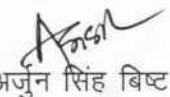
निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विनोद प्रसाद भट्ट, ग्राम व पो०-गोपेश्वर, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 24.01.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के विद्युत संयोजन GP20116001343 पर नवम्बर 2024 से फरवरी 2025 तक के बिल N.A में ₹0 2553.68 का बिल दिया गया है, जो उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025, 19.03.2025, एवं 11.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री विनोद प्रसाद भट्ट उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उपभोक्ता का खराब मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित करें, एवं उपभोक्ता विभाग में अपने बिल के भुगतान के ऐवज में ₹0 80000 जमा करें।
3. मंच द्वारा शिकायत की अगली सुनवाई दिनांक 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए।
4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता का दिनांक 14.12.2024 का विद्युत बिल पिछले बिलों की तुलना में अधिक होने के कारण संशोधित करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, विभाग उपभोक्ता के दिनांक 14.12.2024 का विद्युत बिल पूर्व की विद्युत खपत के अनुसार संशोधित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट

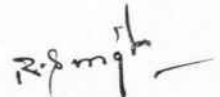
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी

(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह

(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 29 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 477 / 2025-26

श्री शैलेन्द्र कुमार
ग्राम व पो०-मायापुर।

बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

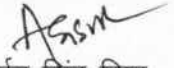
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री शैलेन्द्र कुमार, ग्राम व पो०-मायापुर, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 24.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का संयोजन वर्ष 2022 में किया गया था किन्तु उपभोक्ता को वर्तमान तक विद्युत बिल नहीं दिया गया। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.03.2025, 11.04.2025, तथा 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित कर अवगत किया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को नियमित विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मंच द्वारा पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को नियमित विद्युत बिल दिये जा रहे हैं।

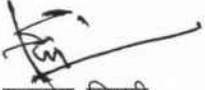
आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, विभाग उपभोक्ता को वर्तमान विद्युत बिल उपलब्ध कराये, एवं उपभोक्ता अपने मोबाइल में ऑनलाइन बिलिंग ऐप इंस्ट्राल करें ताकि उपभोक्ता को नियमित विद्युत बिल प्राप्त हो सके। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

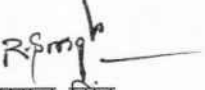
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 30 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 478 / 2025-26

श्री पीताम्बर सिंह, प्रधान प्रशासक
ग्राम पंचायत माणा,
जिला-चमोली।

—

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

—

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री पीताम्बर सिंह, प्रधान प्रशासक ग्राम पंचायत माणा, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 27.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के ग्राम के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल विगत एक वर्ष से बहुत अधिक आ रहे हैं, एवं कई उपभोक्ताओं का विद्युत भार भी एक किलोवाट से तीन किलोवाट कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.03.2025, 11.04.2025 एवं 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री पीताम्बर सिंह उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मंच द्वारा उपभोक्ता की शिकायत को सही पाया गया।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत माणा के घरेलू विद्युत बिलों को RTS - 1 से RTS - 1 A में परिवर्तित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 31 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 437 / 2025-26

समस्त ग्रामवासी
ग्राम पंचायत-त्वांणी
देवाल।

—

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

—

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद नये विद्युत पोल/लाइन लगाने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत-त्वांणी देवाल, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 28.11.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 437 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ताओं के अनुसार ग्रामपंचायत त्वांणी के तोकों (त्वांणी, ईगरपाठ, मगजीना, ग्वालकुड़ी, दुनारगैर आदि) में अधिकांश विद्युत पोल/लाइन क्षतिग्रस्त एवं तारें झूल रही हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं मिलती है। उपभोक्ताओं द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत के समाधान के लिए कार्य गतिमान है। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत के समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
4. विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 359/वि०वि०ख०नाब०/दिनांक 25.04.2025 के द्वारा मंच को अवगत किया गया कि विभाग द्वारा उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 32 /उ०शि०नि०मं० /क०क्षे० /शि०नि० /2025-26,

दिनांक:-13 /05 /2025

वाद संख्या 486 /2025-26

श्री शेर सिंह
ग्राम-इछोली देवाल।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री शेर सिंह, ग्राम-इछोली, देवाल वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 28.03.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को मार्च 2025 का विद्युत बिल सामान्य से बहुत अधिक है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 11.4.2025 एवं 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री शेर सिंह उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री अजय बर्तवाल विभागीय प्रतिनिधि वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए। विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 358 /वि०वि०ख०नाब० /दिनांक 25.04.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता का बिल मार्च 2025 में अधिक आने के कारण उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर के लिए आवेदन किया गया था, एवं उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर स्थापित कर फाइनलाइज्ड कर दिया गया है, जिसमें 2 प्रतिशत का अन्तर आया है, जिससे उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर रु 2469.00 धनराशि का समायोजित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा कर दिया गया है। मंच विभाग को आदेशित करता है कि उपभोक्ता की विद्युत लाइन निकट के कियी अन्य पोल पर शिफ्ट करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL